RNI - NO. MPHIN/2015/64585

रणजीत टाइम्स

वर्ष- 11 अंक - 40 साप्ताहिक अख़बार

इंदौर प्रति मंगलवार , 19 नवम्बर से 25 नवम्बर 2024 पृष्ठ - 8 मूल्य - 2 रू.

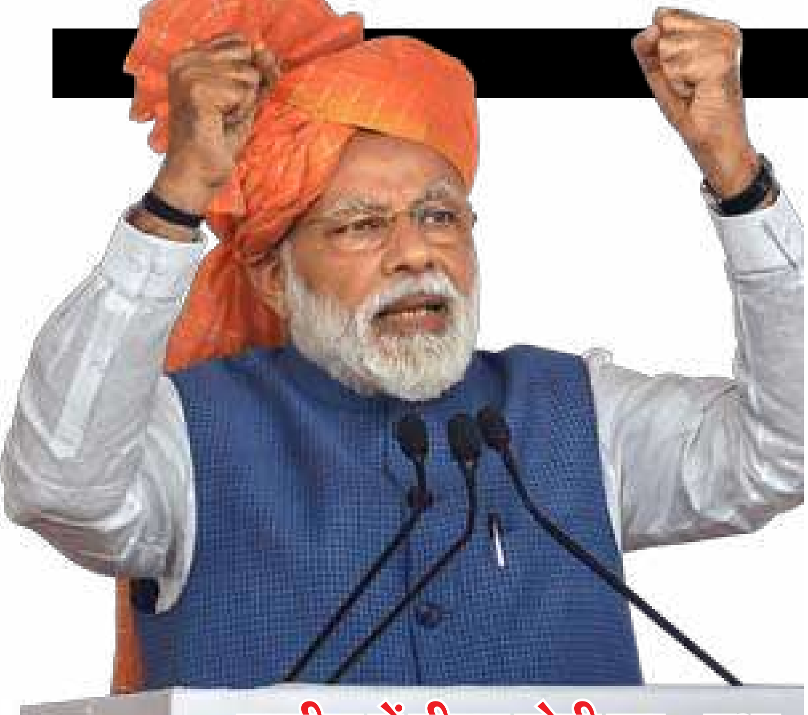

...ब्राजील में पीएम मोदी का... हुआ
भव्य स्वागत

नाइजीरिया की दो दिन की यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिते 18 नवंबर को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनिरियो पहुंचे। यहां भारतीय मूल के नागरिकों ने मोदी का वैदिक परंपरा से स्वागत किया।

संस्कृत में वेद मंत्र सुनकर पीएम मोदी ने भी कलाकारों की प्रशंसा की। पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारत की सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते है। इसी श्रृंखला में अयोध्या स्थित राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंद गिरी, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर, निंबार्क पीठ के जगतगुरु श्याम देवाचार्य, योग गुरु बाबा रामदेव आदि का प्रयास है कि भारत में हिंदू एकता को मजबूत किया जाए। हिंदू समुदाय में जाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए धीरेंद्र शास्त्री 21 नवंबर को धार्मिक पदयात्रा निकाल रहे हैं तो 16 नवंबर को कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद बुलाई। इस धर्म संसद में सनातन को बचाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। देशभर में वैदिक शिक्षा देने के लिए वेद विद्या पीठ का संचालन करने वाले आचार्य गोविंद गिरी भी अपने आध्यात्मिक वचनों में बता रहे हैं कि भारत के हिंदू समुदाय पर जबरदस्त हमला हो रहा है। ऐसे में सनातन संस्कृति को मानने वाले हिंदुओं को एकजुट होना जरूरी है। यदि हिंदू समुदाय एकजुट नहीं हुआ तो फिर गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसलिए वोट जिहाद भी चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना रहमान सज्जाद नोमानी ने स्पष्ट कहा है कि महाराष्ट्र पर सत्ता में कब्जा करने के बाद दिल्ली के शासन पर भी काबिज हो जाएंगे। नोमानी ने मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील की है।

नोमानी ने यहां तक कहा है कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

वोट जिहाद को देखते हुए ही हिंदू धर्म गुरुओं ने हिंदू समुदाय को एकजुट करने का अभियान चलाया है। हिंदू धर्म गुरुओं का मानना है कि यदि एक जुटता नहीं हुई तो फिर देश में आक्रमणकारी काबिज होंगे और 900 साल पहले सनातन संस्कृति को नष्ट करने का और हिंदुओं पर अत्याचार करने का जो चक्र चला वह फिर से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे नेता भले ही अभी संविधान की दुहाई दे रहे हो लेकिन रहमान सज्जाद नोमानी की सोच के चलते लोकतंत्र को भी खत्म कर दिया जाएगा। हिंदू समुदाय के धर्मगुरु अपनी ओर से हिंदुओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं ।

■ ■ ■

शहर में पहली बार

डामर की सड़क के बजाय व्हाइट टापिंग सड़क बनाने का काम शुरू

इंदौर प्रदेश का पहला शहर और पहली नगर निगम बना, पहली बार व्हाईट टॉपिग सड़क बनाने का काम शुरु मॉडल सफल होने पर शहर की सभी डामर की सड़कों को व्हाईट टॉपिग तकनीक से करेंगे रिप्लेस- महापौर देश में और मध्य प्रदेश में इंदौर रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में लगातार नवाचार करता हैं- महापौर

इंदौर। शहर में पहली बार डामर की सड़क के बजाय व्हाइट टापिंग सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। डेंटल कॉलेज चौराह से एबी रोड इसका शुभारंभ महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा किया गया है इस अवसर पर जनकार्य प्रभारी राजेन्द्र राठौर स्थानीय पार्षद श्रीमती पंखुड़ी डोसी सहित निगम के अधिकारी अभय राजनगांवकर,डी आर लोधी,राजेंद्र गरोठिया भी उपस्थित रहे। सड़क कार्य शुभारम्भ के अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि बहुत खुशी है कि प्रदेश का पहला शहर इंदौर पहली नगर निगम इंदौर बन रहा है जो प्रदेश में पहली बार व्हाईट टॉपिंग सड़क बनाने का काम शुरु कर रहे हैं व्हाईट टॉपिंग विधि से इस सड़क को बनाने के लिए दीपावली के पूर्व इसका भूमि पूजन किया गया था वहीं दीपावली के बाद सोमवार को इसका कार्य शुरू कर दिया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि शहर की वह सारी सड़के जो डामर की थी जिस पर हर बार पेंच वर्क करना पड़ता था मेंटेनेंस करना पड़ता था ,यह वाला मॉडल सफल होगा तो उस आधार पर शहर की सभी डामर की सड़कों को व्हाईट टॉपिंग तकनीक से रिप्लेस करेंगे, ताकि शहर की सड़के अगले 20 से 50 साल तक मेंटेनेंस फ्री रहे।

रोड़ कंस्ट्रक्शन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा किए गए नवाचार

मध्य प्रदेश की पहली व्हाइट टॉपिंग की सड़क इंदौर में व्हाइट टापिंग सीमेंट कांक्रीट तकनीक में मिलिंग मशीन की मदद से पुरानी डामर की सड़क की ऊपरी परत स्क्रेप कर कांक्रीट का मोटा लेप किया जाता है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

1. व्हाइट टापिंग सीमेंट कांक्रीट तकनीक में एम-40 ग्रेड सीमेंट कांक्रीट में फाइबर बुरादा भी उपयोग किया जाता है।

2. मध्य प्रदेश में पहली बार नई टेक्नोलॉजी से सड़क का पेंच वर्क जो कुछ ही घंटों में सड़क पर बिना यातायात अवरुद्ध किए ही प्रयोग की जा सकती है।

3. साथ ही एक और टेस्ट जिसमें नई सड़क को पुरानी सड़क से मिलाने का काम नई तकनीक से किया था, जिससे सड़कों की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, भविष्य में हमको 25 दिन तक तरी कर के सड़क मजबूती के लिए रुकना नहीं पड़ेगा,अगर आवश्यकता पड़े की आज सड़क बना कर कल उसका उपयोग करना हैं तो वो तकनीक भी हम इंदौर में ले आए है।

4. महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि देश में और मध्य प्रदेश में इंदौर रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में लगातार नवाचार करता है,जितनी भी हमारी सड़के 10 प्रतिशत डामर की है,जो साल किसी ने किसी कारण से टूट जाती है जिसके बाद उस पर बेच वर्क करना पड़ता है, हम सभी को फेस वाइज ठीक करेंगे।

असम के दरंग जिले में समीक्षा बैठक में उपस्थित मंत्री केशव महंत

रंणजीत टाईम्स

असम के दरंग जिले के संरक्षक मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री केशव महंत आज मंगलदोई पहुंचे और जिला आयुक्त कार्यालय के बैठक कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में दरंग -उदालगुड़ी के सांसद दिलीप कुमार सैकिया, सिपाझार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉ. परमानंद राजबंशी, मंगलदोई निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बसंत दास, दलगांव निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मजीबुर रहमान ने भाग लिया। बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिला आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और सभी विभागाध्यक्षों से जिले को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासित और प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का आग्रह किया। मंत्री ने जल जीवन योजना, असम राज्य विद्युत बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व संग्रह में संबंधित विभागों द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों की समीक्षा की। मंत्री ने दरंग की विरासत और संस्कृति के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। आज की समीक्षा बैठक में दरंग जिले के जिला आयुक्त पराग कुमार काकती, पुलिस अधीक्षक प्रकाश सोनोवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मानस दास, जिला विकास आयुक्त देबजीत बरुआ, जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

काल भैरव अष्टमी महापर्व पर होंगे धार्मिक अनुष्ठान

कार्यालय का हुआ शुभारंभ

रंणजीत टाईम्स

श्री घोड़ा पछाड़ भैरव पर अगहन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल भैरव अष्टमी महापर्व पर आयोजित होने वाले भंडारा उत्सव मनाने के लिए मंदिर समिति तथा वरिष्ठजनों की बैठक का आयोजन किया गया तथा महात्मा गांधी मार्ग पर कार्यालय का विधिवत शुभारंभ पूजापाठ के साथ हुआ। बैठक में काल भैरव अष्टमी महापर्व मनाये जानें तथा होने वाले विशाल भंडारा महाप्रसादी के आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई जिसमें सभी उपस्थित वरिष्ठ मार्गदर्शक एवं समिति के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपनें विचार रखे गये। काल भैरव अष्टमी महापर्व की पूर्व संध्या दिनांक 22 नवंबर को रुद्राभिषेक, रात्री मे भव्य श्रंगार, 23 नवंबर प्रात 10 बजे ध्वज चल समारोह , प्रात 11 बजे से यज्ञ देव पूजन साय 4 :30 बजे पूर्णाहुति महाआरती के बाद विशाल भण्डारा भोजन महाप्रसादी के आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ ही इस अवसर पर होनें वालें सभी प्रकार के आयोजनों के लिये सहमती हुई। ज्ञात हो कि क्षेत्र का पहला भण्डारा है जहाँ पर हर साल होनें वाले इस विशाल भण्डारे में लगभग 20 हजार से अधिक श्रद्वालुजनों के द्वारा महाप्रसादी ग्रहण की जाती है।

सोयाबीन के कम भाव को लेकर कालापीपल में किसानों का हंगामा

मंडी गेट पर ताला लगाकर की नारेबाजी

रंणजीत टाईम्स

प्रतिनिधी

कालापीप। कृषि उपज मंडी समिति कालापीपल में सोयाबीन का उचित भाव नहीं मिलने पर किसानों ने हंगामा कर दिया, इसके बाद किसानों ने मंडी गेट पर ताला लगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासक तहसीलदार व पुलिस पहुँची। इस दौरान लगभग 4 घंटे तक फसल की नीलामी बंद रही।

सोयाबीन के कम भाव को लेकर किसानों द्वारा पूर्व से ही कई बार ज्ञापन देकर भाव बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन लगातार अब भी कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य से कम कीमत पर व्यापारियों द्वारा किसानों से सोयाबीन खरीदी जा रही है।

बीते दिनों सोयाबीन के भाव लगभग 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच गए थे

लेकिन मंगलवार को जब कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की खरीदी की शुरुआत की गई तो सोयाबीन का अधिकतम मूल्य लगभग 4200 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा, ऐसे में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया। दोपहर लगभग 12 बजे किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए गेट बंद कर दिया , वही करीब 3 बजे गेट बंद कर दिया, इसके साथ ही नीलामी व खरीदी हुई सोयाबीन की तुलवाई भी रुकवा दी गई। ऐसे में लगभग चार घंटे तक नीलामी कार्य भी बंद रहा।

मौके पर कृषि उपज मंडी समिति प्रशासक व तहसीलदार कैलाश सस्त्या, थाना प्रभारी मनोहर सिंह जगेत, मंडी सचिव डी एस राजपूत पहुंच गए व किसानों को समझाइस देने की कोशिश की गई

लेकिन किसानों का लगातार हंगामा जारी रहा, शाम लगभग 4:30 बजे मामला शांत हुआ इसके पश्चात कुछ किसानों ने अपनी फसल मंडी में बेची, साथ ही कई किसान बिना विक्रय किये ही अपनी फसल लेकर घर लौट गए।

इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही पुलिस बल की मौजूद रहा।

सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिजन को 12,19,400 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई

रंणजीत टाईम्स

दुर्घटना मे आई चोंटो के कारण मृत्यु के मामले मे आवेदकगण को सहायता राशी

शुजालपुर। दिनांक 17.12.2023 को आवेदक नारायणसिंह का पुत्र शिवराज अपनी मोटरसाइकल से कालापीपल से अपने गांव शेरपुरा जा रहा था, जैसे ही दोपहर 3:30 बजे गजराजसिंह मेवाडा के खेत के सामने ग्राम भरदी पहुंचा कि तभी सामने से ट्रेक्टर कमांक एम.पी.42 ए. सी.1457 के चालक राकेश द्वारा वाहन ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतक शिवराज की मोटर सायकल मे टक्कर मार दी, जिससे मृतक को गंभीर स्वरूप की चोंटे आई, तथा उसकी मृत्यु हो गई, जिसका क्षतिपूर्ति दावा महाजनसिंह परमार, राजपालसिंह राजपूत एडव्होकेट्स द्वारा माननीय सदस्य महोदय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शुजालपुर श्रीमान इरशाद अहमद साहब के समक्ष प्रस्तुत किया था।

महाजनसिंह परमार राजपालसिंह राजपूत एडव्होकेट्स के तर्क से सहमत होकर

माननीय न्यायालय द्वारा मृतक के वारिसान नारायणसिंह आदि को बीमा कम्पनी से 12,19,400/- रूपये दिलाये जाने का आदेश पारित किया एवं आवेदन प्रस्तुती दिनांक से 7% प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया।

इंदौर पुलिस का देर रात्रि में गुंडे, बदमाशों एवं असमाजिक तत्वों पर

कड़ा प्रहार लगातार जारी...

पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त में गुंडे बदमाशों एवं अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले असामाजिक तत्वों सहित लगभग कुल 1298 बदमाशो को चेक करते हुए, उनमे से 583 पर की उचित वैधानिक कार्यवाही।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले 115 लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही के साथ ही, सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध 12 प्रकरण पंजीबद्ध कर की वैधानिक कार्यवाही।

पुलिस थाना राजेंद्र नगर की कार्यवाही में एक शातिर वाहन चोर को लिया गिरफ्त में और चोरी की मोटरसाइकिल भी की बरामद। बदमाशों से डोजियर भरवाकर, उन्हें अपराध ना करने की दी हिदायत।

इंदौर- दिनांक 17 नवंबर 2024- शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में इंदौर शहर के चारों जोन व यातायात के डीसीपी के नेतृत्व में, दिनांक 16-17 नवंबर की दरमियानी रात से सुबह तक नगरीय इंदौर के संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ पुलिस फोर्स ने सभी थाना क्षेत्रों में गुंडे बदमाशों असामाजिक तत्व पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग गश्त की गई। इस दौरान इंदौर पुलिस द्वारा गुंडे/बदमाशों व असामाजिक तत्वों की निगरानी करते हुए लगभग कुल 1298 बदमाशो को चेक करते हुए, उनमे से 583 पर उचित वैधानिक कार्यवाही की गई हैं.... अ जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में वांछित कुल 330 से ज्यादा वारंटों को कराया गया तामील, जिसमें लंबे समय से फरार-- 72-स्थाई, 116-गिरफ्तारी और 142-जमानती वारंट के साथ ही 131 समंस भी किए तामील ।

इस दौरान अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए

अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध 12 प्रकरण पंजीबद्ध कर बदमाशों/असामाजिक तत्वों पर की वैधानिक कार्यवाही। आदतन बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए- 170 BNSS में-19 व 129 BNSS में-12, 126B/135(3) BNSS में-92 व 141-1ख BNSS में-02 इस प्रकार कुल 125 बदमाशो/असामाजिक तत्वों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही/समंस तामील।

इंदौर पुलिस द्वारा गुंडे/बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले 115 लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही

इस दौरान क्षेत्र के अपराधिक प्रवृत्ति के 216-गुंडे/बदमाशों, 67-नकबजनों, 68-लुटेरों, 134-चाकूबाजों, 34-ड्रग पैडलर्स एवं 156 निगरानीशुदा बदमाशों के साथ ही 40 जिलाबदर व रासुका के बदमाशों सहित करीब कुल 715 से ज्यादा बदमाशों को किया गया चेक और की गई कार्यवाही।

पुलिस थाना राजेंद्र नगर की कार्यवाही में एक शातिर वाहन चोर कृष्णा निहाले उम्र 28 साल निवासी अमर पैलेस कालोनी इंदौर को गिरफ्त में लिया है

उससे चोरी की मोटरसाइकिल भी की बरामद की है। वहीं थाना खजराना ने हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार वारंटी को भी गिरफ्त में लिया गया है। इस दौरान कई फरार अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आये है, जिनके विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान चेक किये/पकड़े गए बदमाशों को अपराध ना करने की हिदायत देते हुए उनसे डोजियर भी भरवाए गए हैं।

सिंहाषा की जमीन को लेकर जफरउल्ला ने वीडियो कॉल से किया खण्डन एवं वही शाकिर सेरी द्वारा की गई प्रेस वार्ता

आदित्य शर्मा

इंदौर। जफरउल्ला के मित्र शाकिर सेरी द्वारा बताया गया कि रहीम खान द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हे।

एवं उनका खुलासा जफरउल्ला ने अफ्रीका से वीडियो कॉल के माध्यम से किया हे एवं वही रहीम खान द्वारा लगाए गए आरोप कितने सच और कितने झूठ हे इसके लिए हमारे वकील द्वारा न्यायालय में केस लगाने की त्यारी की जा रही हे एवं वही शाकिर सेरी का कहना है।

शाकिर सेरी

अब जो भी बात की जाएगी वो न्यायालय में की जाएगी एवं वही शाकिर सेरी का कहना हे कि मीडिया को रहीम खान द्वारा झुठी जानकारी दी जा रही हे वही शाकिर सेरी द्वारा कहा गया कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप को रहीम खान प्रूप करे ।

जफरउल्ला

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार

भारत का संविधान

अर्थ, संरचना, अधिनियम, मुख्य विशेषताएँ, महत्त्व और संबंधित तथ्य

गोपाल गावंडे

भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है।

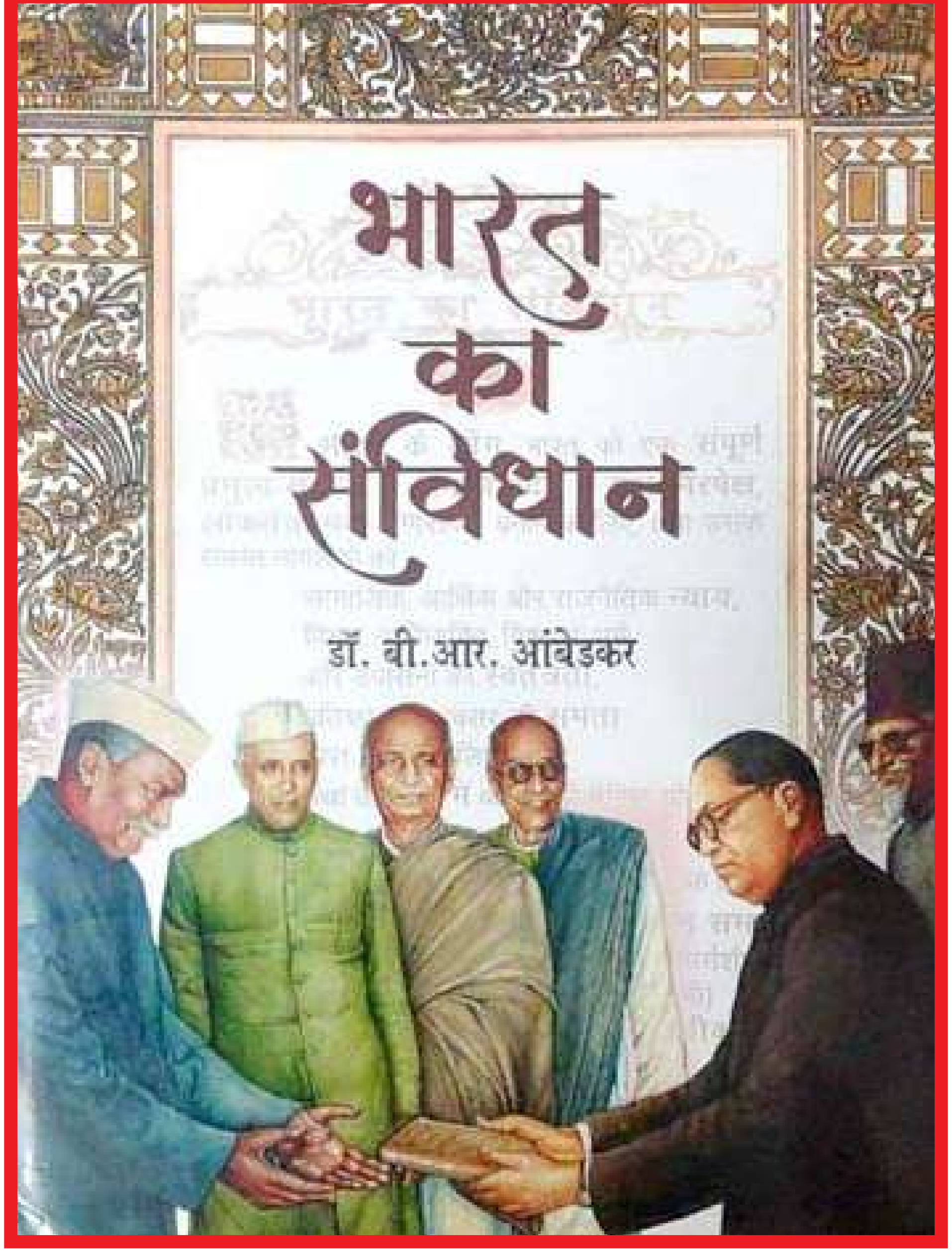

यह भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है, तथा राज्यों के कामकाज का भी मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय संविधान अपने ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं की जड़ों के साथ लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को प्रदर्शित करता है। NEXT IAS का यह लेख भारतीय संविधान के अर्थ, संरचना, प्रमुख विशेषताओं, महत्त्व और अन्य पहलुओं को समझाने का प्रयास करता है।

संविधान का अर्थ

किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है, जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

भारत का संविधान

भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ- साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है।

भारतीय संविधान की संरचना

भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे एवं विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की संरचना के विभिन्न घटकों को इस प्रकार देखा जा सकता है।

भागः संविधान में "भाग" का तात्पर्य समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। भारतीय संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है, प्रत्येक भाग देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे के विशिष्ट पहलू से संबंधित है।अमूल रूप से, भारतीय संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में, भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। अनुच्छेद (Articles): "अनुच्छेद" संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है, जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है।

संविधान के प्रत्येक भाग में क्रमानुसार क्रमांकित कई अनुच्छेद होते हैं। मूलतः भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में, भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं।

अनुसूचिया- "अनुसूची" संविधान से सम्बंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करती है जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशानिर्देशों का विवरण प्रदान करती है। अनुसूचियाँ स्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती हैं, जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बन जाता है। मूल रूप से, भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं।

भारतीय संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण

भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारुप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तदनुसार, डॉ. बी.आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारुप समिति गठित की गई थी। प्रारुप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों का कुल समय लगा। कई विचार-विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद, संविधान के प्रारुप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था। इसे भारत के संविधान की "अंगीकृत तिथि" के रूप में जाना जाता है। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हालाँकि, संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इस तिथि को भारत के संविधान के "अधिनियमन तिथि" के रूप में जाना जाता है।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

सबसे विस्तृत लिखित संविधान भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे विस्तृत है। भारतीय संविधान के व्यापक और विस्तृत दस्तावेज होने में योगदान देने वाले कई कारक हैं, जैसे देश की विशाल विविधता को एकता में समायोजित करने की आवश्यकता, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों और जानकारों की उपस्थिति आदि।

विभिन्न स्रोतों से प्रेरित

भारतीय संविधान के अधिकाँश प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के साथ-साथ विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के प्रमुख प्रावधानों संशोधित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुरुप अपनाया गया है।

कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण संविधानों को वर्गीकृत किया जाता है – कठोर (इसमें संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है) और लचीला (इसमें सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है)। भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि दोनों व्यवस्थाओं का एक मिश्रण है।

एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है और इसमें संघ के सभी सामान्य लक्षण शामिल होते हैं। हालाँकि, इसमें बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएँ भी शामिल हैं।

संसदीय शासन प्रणाली- भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है।

संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय- भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय स्थापित किया गया हैं, अर्थात् भारतीय संविधान में विधि के निर्माण के लिए विधायिका के अधिकार और संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में इन विधियों की समीक्षा और व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के मध्य एक संतुलन बनाया गया है। हालाँकि विधि बनाने का अंतिम अधिकार संसद को है, न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है तथा न्यायपालिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संसदीय कार्य संवैधानिक मानदंडों के अनुसार हों तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के अनुरूप हों। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान के द्वारा देश में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है। एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली का अर्थ है कि न्यायालयों की एक एकल प्रणाली, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानूनों की संविधान की मूल अवसरंचना अनुरूप समीक्षा करती है। एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली का अर्थ है कि भारतीय न्यायपालिका स्वायत्त रूप से संचालित होती है, जो सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं के प्रभाव से स्वतंत्र है।

मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गईं है, जिससे देश में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा मिलता है। वे कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों के लागू होने से प्रतिबंधित करते हैं।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

भारतीय संविधान में DPSP के रूप में सिद्धांतों का एक समूह शामिल है, जो उन आदर्शों को दर्शाते है जिन्हें राज्य को नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। नीति-निर्देशक तत्त्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देकर भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

धर्मनिरपेक्ष राज्य

भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता है। इसके बजाय, यह अनिवार्य करता है कि राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी विशेष धर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध भेदभाव करने से परहेज करना चाहिए।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है।

एकल नागरिकता

एकल नागरिकता भारत में एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसके तहत सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

स्वतंत्र निकाय

भारतीय संविधान ने कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना की है जिन्हें भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रक्षक के रूप में परिकल्पित किया गया है।

आपातकालीन प्रावधान

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान मौजूद हैं। इन प्रावधानों को शामिल करने का तर्क देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और संविधान की रक्षा करना है।

त्रि-स्तरीय सरकार

त्रि-स्तरीय सरकार का अर्थ है सरकार की शक्तियों और दायित्वों को तीन स्तरों पर विभाजित किया जाता है – केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें (पंचायतें और नगरपालिकाएं)। इस विकेंद्रीकृत प्रणाली के द्वारा क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जो भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा देती है।

सहकारी समितियाँ- 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।

भारतीय संविधान का महत्त्व

विधि का शासनः संविधान विधि के शासन पर

आधारित प्रशासन के लिए रुपरेखा स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारियों सहित, विधि से ऊपर नहीं है।

अधिकारों की सुरक्षा

यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है, साथ ही साथ इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी निवारण के लिए तंत्र भी प्रदान करता है। सरकार की संरचनाः संविधान सरकार की संरचना को चित्रित करता है, तथा सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करता है। शक्तियों के इस पृथक्करण के सिद्धांत से जांच और संतुलन को बढ़ावा मिलता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतः सार्वभौम वयस्क मताधिकार जैसे प्रावधानों के माध्यम से संविधान निःशुल्क और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखता है। स्थिरता और निरंतरताः संविधान शासन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, जो क्रमिक सरकारों को मार्गदर्शन देने और राजनीतिक व्यवस्था में अचानक परिवर्तन को रोकने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय एकताः भारतीय संविधान लोगों की विविधता को मान्यता प्रदान करता है तथा इस विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही राष्ट्र के प्रति सामान्य नागरिकता और निष्ठा की भावना को भी बढ़ावा दिया जाता है।

कानूनी ढांचाः संविधान कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर सभी कानून और विनियम आधारित होते हैं, कानूनी प्रणाली में निरंतरता और सुसंगतता प्रदान करते हैं।

अनुकूलनशीलत : एक स्थिर ढांचा प्रदान करते हुए, संविधान बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों को समायोजित करने के लिए आवश्यक संशोधनों की भी अनुमति प्रदान करता है, जो समय के साथ इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है।

भारत के संविधान के स्रोत

1935 का भारत सरकार अधिनियम – संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।

ब्रिटिश संविधान

सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली।

अमेरिकी संविधान

मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद। आयरिश संविधान – राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।

कनाडाई संविधान

एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार।

ऑस्ट्रेलियाई संविधान

समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर्व्यापार की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।

जर्मनी का वाइमर संविधान

आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। सोवियत संविधान (USSR, वर्तमान में रूस)– प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)।

फ्रांसीसी संविधान

गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श।

दक्षिण अफ़्रीकी संविधान

संविधान में संशोधन और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया।

जापानी संविधान

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

संबंधित अवधारणाएँ

संविधानवाद – संविधानवाद एक ऐसी प्रणाली है जहां संविधान सर्वोच्च होता है और संस्थाओं की संरचना और प्रक्रियाएं संवैधानिक सिद्धांतों से संचालित होती हैं। यह एक ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत राज्य को अपना कार्य संचालन करना पड़ता है। यह सरकार पर भी सीमाएँ आरोपित करते है।

भारत का संविधान

भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है। यह भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है, तथा राज्यों के कामकाज का भी मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित किया जाता है।

संविधान का अर्थ

भारत का संविधान

भारतीय संविधान की संरचना

भारतीय संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण - भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ सबसे विस्तृत लिखित संविधान विभिन्न स्रोतों से प्रेरित कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका मौलिक अधिकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य धर्मनिरपेक्ष राज्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एकल नागरिकता स्वतंत्र निकाय आपातकालीन प्रावधान त्रि-स्तरीय सरकार सहकारी समितियाँ भारतीय संविधान का महत्त्व भारत के संविधान के स्रोत भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियाँ

संविधान के भाग

संबंधित अवधारणाएँ

सामान्यतःपूछे जाने वाले प्रश्न

भारत का संविधान क्या है?

भारत का संविधान कब अपनाया गया था?

भारतीय संविधान के 'पिता' के रूप में किसे जाना जाता है?

हम संविधान दिवस कब मनाते हैं?

भारत के संविधान का दर्शन क्या है? भारतीय संविधान अपने ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं की जड़ों के साथ लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को प्रदर्शित करता है। NEXT IAS का यह लेख भारतीय संविधान के अर्थ, संरचना, प्रमुख विशेषताओं, महत्त्व और अन्य पहलुओं को समझाने का प्रयास करता है।

संविधान का अर्थ

किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है, जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार

बीएचएम आरसी को एम्स में नहीं करेंगे मर्ज

गैस त्रासदी से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएचएमआरसी) को एम्स में मर्ज नहीं किया जाएगा।

भोपाल। गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए बने इस अस्पताल को एम्स में विलय करने की मांग पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने पहले ही इसे अस्वीकार कर दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष केंद्र ने कहा कि गैस पीड़ितों का डेटा डिजिटाइज करने के लिए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन सिर्फ एक कंपनी की बोली आने के कारण उसे रद्द कर दिया गया है। जल्द ही नया टेंडर जारी किया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि

सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के लिए 20 निर्देश जारी किए थे और इनकी निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था। कोर्ट के निर्देश थे कि यह समिति हर तीन महीने में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देगा। इस दौरान मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों का पालन न होने पर अवमानना याचिका भी दायर की गई थी।

सरकार की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया

बीएचएमआरसी में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के 70 प्रतिशत से अधिक पद भर दिए गए हैं। अदालत ने सरकार से बीएचएमआरसी को एम्स में मर्ज न करने के संबंध में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश भी जारी किया।

ग्राम बाघ में

सरपंच शोहराब पटेल के नेतृत्व में चहुमुखी विकास

रणजीत टाइम्स

आदित्य शर्मा

इंदौर। ग्राम पंचायत बाघ एक समय अपने कचरे के कारण प्रसिद्ध हुआ करती थी परन्तु वर्तमान में स्थिति अलग हे यहां कचरा फेफने एवं करने वालों पर चालानी कारवाही की जाती हे वही क्षेत्र के हाइवे पर कैमरे लगाए गए जिससे छेत्र की निगरानी की जा सके वही क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाई गई हे।

एवं वही पंचायत द्वारा कूड़े को रिसाइकलिंग कर उपयोग करने लायक बनाया गया जिसे रोड पे लगे पेड़ पौधों को सजाया जा सके वहीं कूड़े में आने वाली प्लास्टिक एवं काच की बोतल को कलर कर उन्हें पेड़ पौधे के आसपास पाली बना कर लगाया गया हे जिससे

पेड़ पौधे और आकर्षक दिखे वही हाइवे पे लाइट लगाई गई हे जिससे हाइवे पर लाइट रहे वही धार रोड हाइवे पर लाइट का कार्य प्रगति पर है,वहीं बाघ पंचायत में मुख्य समस्या ड्रेनेज की थी जिसे सोहराब पटेल (सरपंच) के नेतृत्व में खत्म किया गया एवं वही सोहराब जी पटेल को काग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश सचिव का पद भी दिया गया है।

उपराष्ट्रपति ने किया अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ

सीएम और राज्यपाल रहे मौजूद

उज्जैन। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उज्जैन में कालिदास समारोह का औपचारिक शुभारंभ किया, यहां पर एमपी के सीएम मोहम यादव और राज्यपाल भी मौजूद रहे, इस दौरान उन्होंने कवि कालिदास के जीवन पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि अद्भुत प्रतिभा के धनी महाकवि कालिदास की अमर कृतियां मानव तथा प्रकृति के अटूट संबंधों का अनुपम उदाहरण हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 66वें भव्य अखिल भारतीय कालिदास समारोह का विद्वतजनों की उपस्थिति में गरिमामय शुभारंभ किया, उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये हमारे 5000 वर्षो की सांस्कृतिक विरासत है, उन्होंने आगे कहा,

"उज्जैन नगरी को मेरा कोटी-कोटी वंदन,

"उज्जैन नगरी को मेरा कोटी-कोटी वंदन, धार्मिक नगरी के इस ऐतिहासिक क्षण को मैं हमेशा याद रखूंगा."

राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की अध्यक्षता

समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की समारोह में गरिमामय उपस्थिति रही, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर कहा कि महाकवि कालिदास की अमर कृतियां मानवीय भावों को अद्भुत रूप से प्रदर्शित करती हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी संबोधित किया, कालिदास समारोह में देश भर के ख्यातनाम कलाकार हिस्सा ले रहे हैं।

सर्दियों में जंगल सफारी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रकृति और वन्यजीवों का अद्भुत संगम

घने वन के बीच घास के लंबे-लंबे मैदान और वन्य जीवों की गतिविधियों के बीच सर्दी के मौसम में जंगल सफारी का आनंद अलग है। अगर आप भी इस सर्दी के मौसम में प्रकृति के निकट कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ कान्हा पेंच और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व स्वागत को तैयार हैं।

उमरिया। ऊंचे-ऊंचे साल के वृक्षों के बीच से होकर धरती को चूमती सूर्य रश्मियां, पक्षियों के कलरव, कुलांचे मारते हिरणों के झुंड और उन्मुक्त विचरण करते बाघ। घने वन के बीच घास के लंबे-लंबे मैदान और वन्य जीवों की गतिविधियों के बीच सर्दी के मौसम में जंगल सफारी का आनंद अलग है। अगर आप भी इस सर्दी के मौसम में प्रकृति के निकट कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व स्वागत को तैयार हैं।

पर्यटकों से संकोच नहीं करते बजरंग और छोटा भीम

टाइगर स्टेट में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। 165 बाघों वाले इस राष्ट्रीय उद्यान में बजरंग और छोटा भीम नाम के बाघ लोगों को सर्वाधिक आकर्षित करते हैं। यह दोनों पर्यटकों के समक्ष आने में संकोच नहीं करते।

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहुंचने वाले पर्यटक एक ही दिन में कम से कम दो टाइगर रिजर्व की सफारी कर सकते हैं। बांधवगढ़ में सुबह की सफारी करने के बाद पर्यटक कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व अथवा मुकुंदपुर टाइगर सफारी का भ्रमण आसानी से कर सकते हैं। इन सभी स्थानों की दूरी चंद घंटों की है। टाइगर स्टेट के टाइगर रिजर्व की बुकिंग के आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर के दूसरे पखवाड़ा से जनवरी के पहले पखवाड़ा तक एक लाख से ज्याद पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है।

अन्य प्रमुख स्थल

बांधवगढ़ से कान्हा की दूरी महज 210 किलोमीटर है और सड़क बेहद शानदार है। पर्यटक रास्ते में पड़ने वाले घुघुवा जीवाश्म पार्क का भ्रमण भी कर सकते हैं। बांधवगढ़ आने वाले पर्यटक मुकुंदपुर टाइगर सफारी इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहां सफेद बाघ की सतवीं-आठवीं पीढ़ी के दर्शन सुगम होते हैं। यहां से 129 किमी की दूरी पर मुकुंदपुर टाइगर सफारी तथा 84 किमी की दूरी पर संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है।

इस तरह पहुंचे

कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और दुबरी टाइगर रिजर्व तक पहुंचने के लिए जबलपुर केंद्र बिंदु है। जबलपुर हवाई अड्डे से सभी प्रमुख शहरों की कनेक्टिवटी है। जबलपुर और कटनी रेलवे स्टेशन से भी पर्यटक बांधवगढ़ पहुंच सकते हैं इसके लिए उमरिया स्टेशन उतरना होता है। कान्हा नेशनल पार्क जबलपुर से 160 किमी तथा पेंच पार्क 170 किमी दूर है। वहीं संजय दुबरी टाइगर रिजर्व जबलपुर से 350 किमी की दूरी पर है।

ठहरने की व्यवस्था

बांधवगढ़, पेंच, कान्हा और संजय दुबरी में रुकने के लिए अच्छे होटल और सर्वसुविधा संपन्न होम स्टे सुविधा है। यहां मध्य प्रदेश टूरिज्म कार्पोरेशन के गेस्ट हाउस भी पर्यटकों की अच्छी आवभगत करता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक गोपाल गावंडे द्वारा पंकज प्रिंटर्स एण्ड पैकेजिंग एल.यू.एन 22 सेक्टर एफ सांवेर रोड़, इण्डस्ट्रीयल एरिया इंदौर म.प्र. एवं जी -1 कॉस्मिक रीजेंसी 117 गोकुल नगर कनाडिया इंदौर म.प्र. से प्रकाशित
संपादक गोपाल गावंडे (पी.आर.बी.) एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार (सभी विवादो का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)